

अपील

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के उपरांत 26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

किसी भी देश की राजभाषा उसके गौरव का प्रतीक होती है। आज न केवल हिंदी भारत में एक जनसंपर्क की भाषा है अपितु इसने पूरे देश के विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। पूरा विश्व हिंदी के महत्व को पहचान कर इसकी ओर आकर्षित हो रहा है और विश्व के कोने-कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए भारत आ रहे हैं। भाषा समाज का वह माध्यम है, जिसके द्वारा एक-दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान संभव हो पाता है। भारतीय समाज की इस आवश्यकता को हिंदी ने ही पूरा किया है।

मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान होने के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, जिसके कारण राजभाषा विभाग द्वारा केंविसं (मु0), विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/जीट्स एवं केंद्रीय विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है और माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भी राजभाषा निरीक्षणों के दौरान हमारे द्वारा हिंदी के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की गई है। आप सबके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के लिए चुना गया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए संगठन के सभी कार्मिक बधाई के पात्र हैं। मैं, आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी से अपील करती हूँ कि हम सभी यह शपथ लें कि अपने सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति अपने-अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से अनुपालन करेंगे।

निधि-पाण्डे

(निधि पाण्डे)

14 सितंबर, 2024